सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 337 राँची ,सोमवार 30 आषाढ़ 1936 (श०)

21 जुलाई, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

18 जुलाई, 2014

1. जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 1355, दिनांक 6 अगस्त, 1997

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार का संकल्प सं० 8925, दिनांक 18 सितम्बर, 1997 तथा पत्रांक 1572, दिनांक 23 मार्च, 2001

संख्या-5/आरोप-1-238/2014 का.- 7301--श्री गीता राम झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 931/99, गृह जिला- मुंगेर), तदेन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली, खगड़िया, बिहार के पद पर कार्यावधि से संबंधित जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 1355, दिनांक 6 अगस्त, 1997 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

1. फुलवरिया प्राथमिक विद्यालय में चबूतरा निर्माण की योजना ली गई थी, जिसकी प्राक्कलित राशि 36,000.00 रूपया थी और 35,737.00 रूपये का भुगतान इनके द्वारा किया गया है। स्वीकृत फुलवरिया ग्राम की जगह इनके द्वारा भराठा टोले में मिट्टी भराई का कार्य कराया गया और स्थल परिवर्तन के लिए समक्ष पदाधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन एवं सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दिनांक 5 जून, 1991 को स्थल जाँच के दौरान पाया गया कि भराठा टोले में मिट्टी का टीला पूर्व का बना हुआ है, जो भुगतान की राशि के अनुपात में बहुत कम का है। इससे स्पष्ट होता है कि इस योजना में इनके द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया है एवं राशि का गबन किया गया है।

2. योजना सं0-10/88-89 में रौन पंचायत के अरूवा से भुजंगा तक नहर निर्माण आपके द्वारा पेटी कंट्रेक्टर से कराया गया है। गलत काम को सही प्रमाणित करने के लिए जाली मस्टर रोल भी तैयार किया गया है। सरकारी दर 144 रू0 प्रति हजार सी0एफ0टी0 की दर से मजदूरों को भुगतान किया गया है। मस्टर रोल में मजदूरों का नाम सही दिखाकर किये गये कार्य से ज्यादा दिनों का काम दिखाया गया है। मस्टर रोल में मजदूरों को विभिन्न तिथियों में दर्शाया गया भुगतान नापी पुस्तिका से गलत प्रमाणित होता है। इस योजना में मस्टर रोल 97,636.00 रूपये का बना हुआ है। कार्य अभियंता, एन0आर0ई0पी0 द्वारा 83,433.00 रूपये का कार्य प्रमाणित किया गया है। परन्तु जाँच दल द्वारा 49,544.60 रूपये का कार्य कराया गया, पाया गया। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा प्रथम अग्रिम 20,000.00 रूपये दिया गया है, पर सरकारी नियमानुसार 7,500.00 रूपये ही दिने का प्रावधान है। आपके द्वारा सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से अग्रिम दिया गया है।

3. फुलतोड़ा पंचायत के अन्तर्गत फुलतोड़ा से गम्हेरिया तक सड़क निर्माण योजना जिसकी प्राक्कलित राशि मो0 84,700.00 रूपये है। इसमें 55,980.00 रूपये का भुगतान किया गया है। कनीय अभियंता द्वारा 67,000.00 रूपये की नापी दिखाई गई है। बाद में सहायक अभियंता, श्री ब्रज किशोर

ने कनीय अभियंता के नापी को काटकर 40,000.00 रूपये की नापी दिखलाया है, पर जाँच दल द्वारा नापी करने पर मात्र 27,583.00 रूपये का कार्य पाया गया। इस प्रकार योजना में आपके एवं कनीय अभियंता के मिलीभगत से 39,417.00 रूपये का दुरूपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्य प्राक्कलन के अनुसार नहीं कराया गया है। सरकारी दर 144 रू0 प्रति हजार सी0एफ0टी0 के स्थान पर 90 से 95 रूपये प्रति हजार सी0एफ0टी0 की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया है। साथ ही कंट्रेक्टर द्वारा कार्य कराया गया है एवं मस्टर रोल संदेहास्पद है।

4. गोरीयामी पंचायत के अन्तर्गत गोरीयामी पंचायत भवन से सोनराघाट तक सड़क निर्माण योजना में कुल व्यय 1,02,552.00 रूपये दिखलाया गया है, पर नापी पुस्तिका के अनुसार 74,515.00 रूपये का कार्य कराया गया है। इस तरह इस योजना में आपके द्वारा 28,037.00 रूपये का गोलमाल किया गया है। इस योजना में मस्टर रोल नहीं रखा गया है। सरकारी दर 144 रू0 प्रति हजार सी0एफ0टी0 के स्थान पर 90 से 95 रूपये प्रति हजार सी0एफ0टी0 की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया है। साथ ही मजदूरी में गेहूँ नहीं दिया गया है।

5. अलौली पंचायत के अन्तर्गत बरूआ टोला में मथुरावाहा तक सड़क निर्माण योजना की प्राक्कलित राशि 1,10,100.00 रूपये है। अभिलेख के अनुसार इस योमना में कुल 56,204.00 रूपये का व्यय किया गया है एवं नपी पुस्तिका के अनुसार 41,482.00 रूपये का कार्य कराया गया है। इस तरह इस योजना में आपके द्वारा 14,882.00 रूपये का गोलमाल किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी की मात्रा नहीं दी गई है। साईड स्लेप टोप बिडथ एवं सरफेसिंग ठीक नहीं है। कलभर्ट में सिमेन्ट, मोटार्र, ब्रिक की मात्रा एवं क्वालिटी ठीक नहीं है। मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित दर 144 रूपये प्रति हजार सी0एफ0टी0 के बदले 100 रूपये से 105 रूपये प्रति हजार सी0एफ0टी0 की दर से भुगतान किया गया है। मजदूरों को मजूदरी में गेहूँ की आपूर्ति दिखाई गई है, पर वास्तव में आपूर्ति नहीं की गई है।

6. सोनीहार कॉलेज का हाता में वृक्षारोपण हेतु टीला का निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 9,142.00 रूपये की है। इस योजना के नगद एवं गेहूँ की कीमत लगातार कुल भुगतान 7,170.00 रूपये किया गया है। 19 मई, 1989 को मात्र 1,046.00 रूपये के मापी पुस्तिका प्राप्त हुई, जिसकी जाँच जाँच टीम द्वारा किये जाने पर उतना ही कार्य पाया गया, परन्तु कनीय अभियंता द्वारा 5,786.00 रूपये का कार्य मापी पुस्तिका में दर्ज किया गया है, जो जाँच दल द्वारा गलत ठहराया गया है। अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि इसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि आपके एवं कनीय अभियंता की मिलीभगत से इस योजना में 6,124.00 रूपये का गोलमाल किया गया है।

7. वाटर वेज बाँध से सरहदी ग्राम तक सड़क योजना, यह योजना वर्ष 1984-85 की है, पर इसकी अंतिम नापी 3 जुलाई, 1988 को स्व0 शंकर साहू सहायक, अभियंता एन0आर0ई0पी0 द्वारा की गई है। संबंधित अभिलेख में संलग्न ज्ञापांक-469, दिनांक 10 मार्च, 1988 के अनुसार तक कनीय अभियंता द्वारा 9,215.00 रूपये की नापी विपत्र दिया गया एवं इसके पश्चात् कनीय अभियंता श्री सुरेश पाण्डेय द्वारा 2 मई, 1988 तक 13,520.00 रूपये की मापी विपत्र दिया गया है। इस तरह कराये गये कुल कार्य की मापी कनीय अभियंताओं द्वारा 22,735.00 रूपये का दिया गया है। 2 मई, 1988 के बाद इस योजना में कोई कार्य नहीं किया गया है। परन्तु सहायक अभियंता श्री शंकर साहू द्वारा 3 जुलाई, 1988 को अंतिम विपत्र 24,852.00 रूपये का दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस योजना में आपके एवं सहायक अभियंता श्री शंकर साहू की मिलीभगत से 2,117.00 रूपये का गोलमाल किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका मस्टर रोल भी जाली है, जो बाद में एम0बी0 के अनुसार तैयार किया गया है। साथ ही अभिलेख का आदेश फलक भी बदल दिया गया प्रतीत होता है।

8. चेराखोरा पंचायत के उत्तरी बहोरवा से दक्षिण बहोरवा तक सड़क कुछ दूर तक आपके द्वारा बनाया गया है एवं यह साधारण बाढ़ में भी पूरा डूब गया। यह सड़क दोनों टोलों के लोगों के बीच सम्पर्क बनाये रखने के दृष्टिकोण से लिया गया, जो पूरा नहीं हुआ। मस्टर रोल जाली आपने बनाया,

क्योंकि एक ही व्यक्ति का अंगूठा का छाप विभिन्न व्यक्तियों के नाम के सामने लगाया गया है तथा जाली विपत्र को ही प्रमाणित करने के लिए उसे बाद में बनाया गया है।

9. बुधौरा पंचायत के आर0ई0ओ0 रोड से बुधौरा हरिजन गृह तक पहुँच पथ में पेटी कंट्रेक्टर से कार्य कराया गया है। आपके द्वारा प्रथम अग्रिम 10,000.00 रूपये भुगतान किया गया है, जबकि सरकारी निदेशानुसार 7,500.00 रूपये ही करना है। मस्टर रोल में अंगूठा का निशान वास्तव में तीन-चार व्यक्तियों का ही बार-बार लिया गया है एवं गलत तौर पर भुगतान दिखलया गया है। कार्यपालक अभियंता एन0आर0ई0पी0 द्वारा जाँच कर इस योजना में 49,308.00 रूपये का काम मापी पुस्तिका में बुक किया गया है, पर जाँच दल द्वारा वास्तव में 39,308.00 रूपये का ही कार्य पाया गया। इस प्रकार कार्यपालक अभियंता एन0आर0ई0पी0 एवं आपके द्वारा 10,000.00 रूपये अधिक भुगतान किया गया।

10. अम्बा इचरूआ पंचायत के अन्तर्गत पी0 डब्लू0 डी0 रोड में वाटर वेज बाँध तक सड़क निर्माण योजना की स्वीकृति प्राक्कलित राशि पूर्व में 17,000.00 रूपये थी, जिसे बिना अनुमति प्राप्त किये ही 19,200.00 रूपये का कार्य कराया गया है। इस योजना में 13,252.00 का खर्च दिखाया गया है। यह सड़क बाढ़ के समय बाँध पर बचाव कार्य हेतु सामग्री पहुँचाने के उद्देश्य से 15 मार्च, 1989 तक बनाया गया था, पर बार-बार कहने के बावजूद भी इसे आपके द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसके वजह से इसे योजना पर की गई राशि का दुरूपयोग ही कहा जायेगा। इस योजना का कार्य भी पेटी कंट्रेक्टर द्वारा कराया गया है।

11. प्रखण्ड प्रांगण में स्थित एस0एफ0सी0 गोदाम से पी0डब्लू0डी0 रोड तक पहुँच पथ को बाढ़ सहाय्य के समय उपायोग में लाने के लिए 15 मार्च, 1989 तक पूर्ण करना था, पर इस योजनों को पूर्ण नहीं किया गया। इस योजना की स्वीकृत प्राक्कलित राशि 16,200.00 रूपये को बिना अनुमति प्राप्त किये पुनरीक्षितकर 21,000.00 रूपये कर दिया गया। इस योजना में मस्टर रोल का संधारण नहीं किया गया है। इसमें आपके द्वारा घपलेबाजी की गई है। इस योजना में साईड स्लोप टॉप विडथ् एवं सरफेसिंग को प्रतिपादित नहीं किया गया है। इसमें ईंट का किस्म ठीक नहीं है।

12. मेघोना पंचायत के अन्तर्गत वाटर वेज बाँध से मेघोनों भाया लक्ष्मीपुर होते हुए सड़क निर्माण योजना की प्राक्कलित राशि 1,07,600.00 रूपये है, पर मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य मात्र 33,428.00 रूपये का कराया गया है। यानि कार्य पूरा नहीं किया गया है, जबकि इसे 15 मार्च, 1989 तक पूर्ण करना था। प्राक्कलन के अनुसार आवश्यक मात्रा में मिट्टी नहीं दी गई है। इस योजना में साईड स्लोप टॉप विडथ् एवं सरफेसिंग ठीक नहीं किया गया है तथा मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित दर 144 रूपये प्रति हजार सी0एफ0टी0 के जगह पर 100 रूपये से 105 रूपये प्रति हजार सी0एफ0टी0 के दर से भुगतान किया गया है। जाँच दल को जाँच के क्रम में पता चला कि इस योजना का कार्य दो माह से बंद था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा इस योजना का पर्यवेक्षण नहीं किया गया है, जिसके चलते काफी अनियमितता बरती गई है।

13. चन्द्रपुरा खुर्द पंचायत के अन्तर्गत चन्द्रपुरा खुर्द शिशवा रही तक सड़क का निर्माण योजना की प्राक्कलित राशि मो0 1,05,700.00 है, पर मापी पुस्तिका में प्रविष्टि 62,404.00 रूपये की है। नापी पुस्तिका अद्यतन नहीं है। मस्टर रोल में फर्जी अंगूठा का निशान है और मस्टर रोल भी पूर्ण नहीं है, जिससे ऐसा लगता है कि मस्टर रोल बाद में मनमाने ढंग से आपके द्वारा बनाया गया है। मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित दर 144 रूपये प्रति हजार सी0एफ0टी0 के बदले 90 रूपये से 95 रूपये प्रति हजार सी0एफ0टी0 की दर से भुगतान किया गया है। इस योजना में प्रावधान के अनुसार कलवर्ट का निर्माण नहीं किया गया है तथा साथ ही इस योजना को पूरा नहीं किया गया है, जबकि 15 मार्च, 1989 तक इसे पूर्ण करना था।

14. सोनिहार पंचायत के अन्तर्गत सोनिहार गाँव से सोनिहार कॉलेज तक पथ निर्माण योजना की प्राक्कलित राशि 1,05,700.00 रूपये है, पर कार्य 29,060.00 रूपये का किया गया है। कार्य अधूरा था। प्राक्कलन के अनुसार मिट्टी नहीं दी गई है। साईड स्लोप ठीक नहीं है। एक जगह मिट्टी कार्य की गणना में गड़बड़ी की गई है तथा आपके द्वारा इसमें सही पर्यवेक्षण नहीं किया गया है।

श्री राम द्वारा अपने पत्र दिनांक 19 मार्च, 2001 द्वारा बचाव-बयान समर्पित किया गया। कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 1572, दिनांक 23 मार्च, 2001 द्वारा जिला पदाधिकारी, खगड़िया से श्री राम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गई। जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अपने पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 द्वारा श्री राम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप सं0 1, 4, 5, 7 एवं 10 के लिए श्री राम के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य बताया है जबकि आरोप सं0 2, 13 एवं 14 में उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य बताया गया है। आरोप सं0 3, 6, 9 एवं 12 से संबंधित अभिलेख निगरानी विभाग, बिहार में होने के कारण कोई मंतव्य नहीं दिया गया है। आरोप सं0 8 के लिए अंगूठे की जाँच विशेषज्ञ से कराने की अनुशंसा की गई है। ग्यारहवें आरोप पर कोई मंतव्य नहीं दिया गया है।

श्री गीता राम दिनांक 28 फरवरी, 2007 को कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद के पद से सेवानिवृत हो गये। फलतः विभागीय पत्रांक-8381, दिनांक 19 जुलाई, 2012 के द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 139बी0 के तहत् श्री राम से इनकी सेवा असंतोषप्रद क्यों नहीं मानी जाय?- के संबंध में द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री राम द्वारा अपने पत्र, दिनांक 8 अगस्त, 2012, 30 नवम्बर, 2012 एवं 7 दिसम्बर, 2013 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।

श्री राम ने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में उल्लेख किया है कि इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरापों के लिए कनीय अभियंता श्री सुरेन्द्र पाण्डेय तथा कार्यपालक अभियंता श्री लालदास के विरूद्ध अलग से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। कनीय अभियंता के विरूद्ध आरोप था कि वे मापी पुस्तिका में गलत मापी दर्ज कर सरकारी राशि गबन करने में सहयोग दिया तथा मजदूरों का मजदूरी भुगतान निर्धारित दर से कम किया गया। उस समय विभाग का या जिलाधिकारी का आदेश था कि मजदूरों का मजदूरी भुगतान कनीय अभियंता की देख-रेख में होगी। कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप था कि वे कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका में दर्ज गलत मापी को सत्यापित एवं

प्रतिहस्ताक्षरित किया। विभागीय कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद उन दोनों अभियंताओं को आज से करीब 14 वर्ष पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियंताओं को दोषमुक्त किया जाना साबित करता है कि अभियंताओं ने कोई गलत मापी नहीं दर्ज किया तथा मजदूरों को निर्धारित दर से कम भुगतान नहीं किया गया है। श्री राम का कहना है कि इन्होंने अभियंताओं द्वारा मापी पुस्तिका में दर्ज मापी के अनुसार भुगतान किया है। आरोप सं0- 13 एवं 14 में राशि गबन का आरोप नहीं है। आरोप सं0- 2 में इन्होंने कनीय अभियंता की मापी एवं उस मापी को कार्यपालक अभियंता द्वारा सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के बाद उसके अनुसार किया है।

श्री राम के विरूद्ध प्राप्त आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा जिला पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्ध लगाये गये आरोप संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 337–50 ।